



राज्य सूचना आयोग
चौथा तल्ला, सूचना भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।
दूरभाष-2215713, 2235059, 2200412, फ़ैक्स-2235466

आवश्यक सूचना

निदेशानुसार सूचित करना है कि अपरिहार्य कारणवश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा के न्यायालय में दिनांक-07.11.2022 से 08.12.2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे सुनवाई हेतु निर्धारित वादों की सुनवाई को संशोधित करते हुए निम्नलिखित वादों की सुनवाई "अगली सुनवाई की तिथि" कॉलम में दिये गये तिथि एवं समय पर निर्धारित की जाती है।

पूर्व सुनवाई की तिथि	न्यायालय का नाम	वाद संख्या	अगली सुनवाई की तिथि	कुल
07.11.2022 को 10.30 बजे	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा का न्यायालय प्रकोष्ठ	C285, C292, C305, C285A	13.12.2022 को 10.30 बजे	04
08.11.2022 09.11.2022 को 10.30 बजे		C309, C310, C317, C90, C322, C92, C253, C336, C337	14.12.2022 को 10.30 बजे	09
10.11.2022 14.11.2022 को 10.30 बजे		C338, C343, C345, C372, C387, C390	15.12.2022 को 10.30 बजे	06
11.11.2022 को 10.30 बजे		A121, C129, A3396, A2596, A7399, A6575, A6832, C1346, C1347, A7528, C157, C194, C340, C381	23.12.2022 को 10.30 बजे	04
15.11.2022 को 10.30 बजे		A7969, A7970, A7971, C1348, C1349	19.12.2022 को 10.30 बजे	05
16.11.2022 17.11.2022 को 10.30 बजे		C407, C409, C410, C413, C414, C415, C416, C417	20.12.2022 को 10.30 बजे	08
18.11.2022 21.11.2022 को 10.30 बजे		A2423, C439, C440, C442, A116, A5749, A3170, A3842, C1350, C1351	21.12.2022 को 10.30 बजे	10
22.11.2022 23.11.2022 को 10.30 बजे		C411, C446, C451, A3927, A7235, A4316, A4317, 116398	22.12.2022 को 10.30 बजे	08

24.11.2022 को 10.30 बजे	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा का न्यायालय प्रकोष्ठ	139678, 139718, A161	02.01.2023 को 10.30 बजे	03
25.11.2022 को 10.30 बजे		A1293, A1294	06.01.2023 को 10.30 बजे	02
28.11.2022 29.11.2022 को 10.30 बजे		A5677, A5678, A9859, A4807, A4813, A8545, A9587, A9588	03.01.2023 को 10.30 बजे	08
30.11.2022 01.12.2022 को 10.30 बजे		A7555, A2832, A3174, A6804, A510, A3928	04.01.2023 को 10.30 बजे	06
02.12..2022 को 10.30 बजे		C18, C19	27.01.2023 को 10.30 बजे	02

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के आदेशानुसार,

Upendra Kumar

(उपेन्द्र कुमार)
विधि पदाधिकारी